Australian Government

Australian Taxation Office

ऑस्ट्रेलिया में कर:
आपको क्या पता होना चाहिए

ato.gov.au

यदि आप ऑस्ट्रेलिया में नए आए/आई हैं या अंग्रेज़ी आपकी द्वितीयक भाषा है, तो यह संदर्शिका ऑस्ट्रेलिया में कर के बारे में आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता करेगी।

हम कर क्यों देते हैं

ऑस्ट्रेलियावासियों के रूप में हम एक अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनेकानेक प्रकार की सामुदायिक सुविधाओं (उदाहरण के लिए, पार्क और खेल के मैदान) की सुलभता का आनंद उठाते हैं, जो कर संग्रहों के माध्यम से समर्थित की जाती हैं।

ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा हमें सेवाएँ उपलब्ध कराए जाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय (एटीओ) कर एकत्र करता है। इन सेवाओं में शामिल हैं:

- स्वास्थ्य देखभाल
- शिक्षा
- रक्षा
- सड़कें और रेलवे
- कल्याण, आपदा राहत और पेंशन के लिए भुगतान।

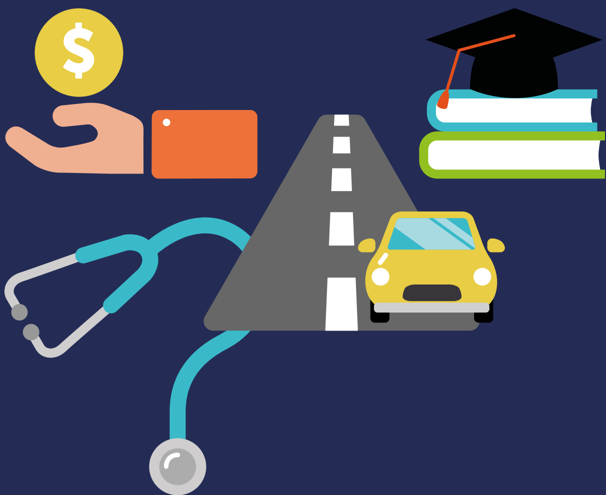

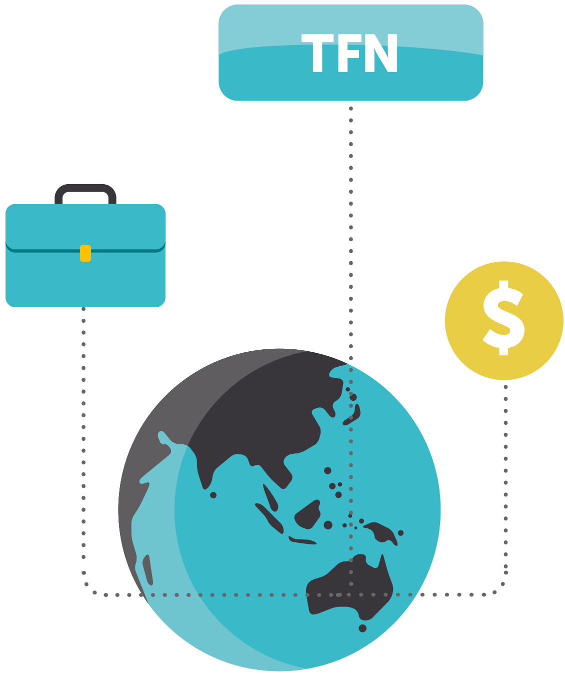

काम शुरू करने से पहले

ऑस्ट्रेलिया में काम करने की अनुमति

यदि आप किसी दूसरे देश के/की निवासी हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में काम शुरू करने से पहले Department of Home Affairs से अनुमति लेना होगी। Home Affairs आपको उपयोगी सूचना प्रदान कर सकता है, जिसमें इस बारे में जानकारी भी शामिल है कि आपको कौन सा वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में काम करने की अनुमति देता है।

ऑस्ट्रेलिया में काम करने की अनुमति के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **homeaffairs.gov.au** पर जाएँ।

Tax file number **प्राप्त करें**

आपका tax file number (TFN) कर तथा सुपरएनुएशन व्यवस्थाओं के लिए आपकी निजी संदर्भ सँख्या होती है। TFN के लिए आवेदन करना **निःशुल्क** है।

काम शुरू करने से पहले, या काम शुरू करने के तुरंत बाद, आपको TFN प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा आपको अधिक कर का भुगतान करना होगा। हम व्यक्ति-विशेषों, व्यापारों और अन्य संस्थाओं को पहचान और रिकॉर्ड कीपिंग के प्रयोजनों के लिए TFN जारी करते हैं।

आपको TFN के लिए आवेदन कैसे करना होगा, यह आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा: और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ato.gov.au/tfn** पर जाएँ।

अपना आवेदन पूरा करते समय आपको अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए दस्तावेजों की ज़रूरत होगी।

आपके TFN आवेदन को संसाधित करने और TFN को आपके पते पर भेजने में 28 दिनों का समय लग सकता है।

जब आपको अपना TFN प्राप्त हो जाता है, तो इसे सुरक्षित रखना और किसी दूसरे को इसका इस्तेमाल न करने देना महत्वपूर्ण होता है। अपने व्यक्तिगत विवरणों को सुरक्षित रखने के तरीकों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ato.gov.au/identitycrime** पर जाएँ।

Australian business numbers (ABN) **(ऑस्ट्रेलियाई व्यवसाय संख्याएँ) व्यवसायों के लिए होते हैं**

ऑस्ट्रेलिया में काम करने के उद्देश्य से सभी लोग Australian business number (ABN) के लिए पात्र नहीं होते हैं या सभी को इसकी ज़रूरत नहीं होती है: ABN होने का अर्थ यह है कि:

- आप अपने स्वयं के व्यापार का संचालन कर रहे/रही हैं
- आपको हमें अपने कर का भुगतान स्वयं करने की ज़रूरत होती है
- आपको अपने सुपर का भुगतान स्वयं करने की ज़रूरत हो सकती है
- यदि आपको शारीरिक नुकसान होता है, तो हो सकता है कि आप बीमाकृत न हों।

ABN का आवेदन करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **abr.gov.au** पर जाएँ।

काम शुरू करते समय

Tax file number घोषणा पूरी करें

जब आप काम करना शुरू करते/करती हैं, तो आपके कार्य-नियोक्ता आपको एक *Tax file number declaration* (Tax file number घोषणा) पूरी करने के लिए कहेंगे, ताकि आप उन्हें अपना TFN और अपनी व्यक्तिगत जानकारी दे सकें।

वे इस घोषणा का उपयोग करके यह पता लगाते हैं कि आपको कितना कर चुकाना होगा। आपके पास घोषणा को पूरा करने और इसे अपने कार्य-नियोक्ता को देने के लिए 28 दिनों का समय होता। यदि आप ऐसा नहीं करते/करती हैं, तो आपके कार्य-नियोक्ता सबसे ऊंची दर पर कर की कटौती कर सकते हैं।

कर-मुक्त सीमा का दावा करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ato.gov.au/taxfreethreshold** पर जाएँ

यदि आप कर के प्रयोजनों से ऑस्ट्रेलियाई निवासी हैं, तो आप अपनी घोषणा को पूरा करते समय कर-मुक्त सीमा का दावा कर सकते/सकती हैं। इसका अर्थ है कि आपकी वार्षिक आय में से पहले $18,200 पर कर देय नहीं होगा।

सामान्य रूप से आप केवल एक ही कर-नियोक्ता से कर-मुक्त सीमा का दावा कर सकते/सकती हैं। यदि आपके एक से अधिक कार्य-नियोक्ता हैं, तो आपको उस कार्य-नियोक्ता के माध्यम से कर-मुक्त सीमा का दावा करना चाहिए जो सबसे ऊंचा वेतन या आय का भुगतान करता/करती है।

Tax file number घोषणाओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ato.gov.au/TFNdec** पर जाएँ।

कर का भुगतान

जब आपके कार्य-नियोक्ता आपके वेतन या आय का भुगतान करते हैं, तो वे कर काटकर उसे हमें भेजते हैं। आपकी वेतन पर्ची में यह प्रदर्शित होता है कि आपने कितना कर चुकाया है। वित्तीय वर्ष के अंत में आपके आय विवरण या भुगतान सारांश में प्रदर्शित होगा कि आपने अपने कार्य-नियोक्ता से कितनी कुल आय अर्जित की है और उन्होंने कितने कर की कटौती की है। आपका आय विवरण ATO online services में myGov के माध्यम से उपलब्ध है।

आपके द्वारा दिए जाने वाले कर की राशि निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है:

- आपकी कर निवासिता
- आपने कितनी आय अर्जित की है
- क्या आपके पास एक से अधिक नौकरियाँ हैं
- क्या आपके पास tax file number (TFN) है – यह एक व्यक्तिगत संदर्भ संख्या होती है, जो आपको अपने कार्य-नियोक्ता के लिए काम शुरू करने के बाद उन्हें बतानी चाहिए।

कुछ कार्य-नियोक्ता बैंक खाते के बजाय नकद में भुगतान करना पसंद करते हैं। यह गलत नहीं है, बशर्ते वे:

- आपको अदा की गई धनराशि से कर की कटौती करते हैं
- आपको वेतन पर्चियां देते हैं, जिनमें यह दिखाया जाता है कि कितने कर की कटौती की गई है
- आपकी ओर से सुपर योगदानों का भुगतान करते हैं (यदि आप सुपर के लिए पात्र हों)।

यदि आप TFN प्राप्त करने से पहले काम शुरू करते/करती हैं, तो आपके पास इसे प्राप्त करके अपने कार्य-नियोक्ता को देने के लिए 28 दिनों का समय होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते/करती हैं, तो आपके कार्य-नियोक्ता के लिए आपसे सबसे ऊंची दर पर कर लेना आवश्यक होगा।

कर दरों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ato.gov.au/taxrates** पर जाएँ।

सुपरएनुएशन

सुपरएनुएशन (सुपर) आपके काम-काजी जीवन के दौरान अलग रखी गई धनराशि होती है, ताकि आपके सेवा-निवृत्त होने पर इसका उपयोग किया जा सके। नई नौकरी शुरू करने पर आपके लिए सुपर के काम करने का तरीका और अपने अधिकारों तथा हकदारियों के बारे में जानना महत्वपूर्ण होता है।

सुपर की धनराशि का भुगतान आपके वेतन के अलावा किया जाता है। यदि आप सुपर के लिए पात्र हैं, तो आपके कार्य-नियोक्ता को सुपर फंड खाते में सुपर योगदान का भुगतान करना होगा। अधिकतर लोग यह चयन कर सकते हैं कि इन योगदानों का भुगतान कौन से ऑस्ट्रेलियाई सुपर फंड में किया जाए।

अपने सुपर खाते में सही सुपर का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अपने सुपर की जांच करना महत्वपूर्ण होता है। अपने सुपर को ट्रैक करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ato.gov.au/trackyoursuper** पर जाएँ।

सुपर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ato.gov.au/tfnsuper** पर जाएँ।

आपका टैक्स रिटर्न

टैक्स रिटर्न तैयार करने की आवश्यकता किसे है?

एक व्यक्ति-विशेष के रूप में आपको टैक्स रिटर्न जमा करना होगा, यदि:

- कर वर्ष (1 जुलाई से 30 जून) के दौरान आपके वेतन से कर की कटौती की गई थी
- आपकी कर-योग्य आय (जिसमें ऑस्ट्रेलियाई सरकार के कुछ भुगतान शामिल हैं) निवासियों के लिए नियत कुछ सीमाओं से अधिक थी
- आप एक विदेशी निवासी हैं और आपने कर वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया में $1 या इससे अधिक कमाए हैं (उस आय के अलावा, जिसमें से गैर-निवासी कर की कटौती की गई थी)
- यदि आप स्थायी तौर पर या एक से अधिक कर वर्षों के लिए ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जा रहे/रही हैं, तो भी आपको टैक्स रिटर्न पूरा करके जमा करना चाहिए।

हम आपके टैक्स रिटर्न में दी गई जानकारी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपकी आय और आपके द्वारा भुगतान किए गए कर की राशि, क्या आपको अतिरिक्त कर का भुगतान करने की आवश्यकता है या क्या आपको पैसे वापिस मिलेंगे (टैक्स रिफंड)।

आपको टैक्स रिटर्न जमा करने की आवश्यकता है या नहीं, इसके बारे में और अधिक जानकारी तथा पता लगाने के लिए वेबसाइट **ato.gov.au/DoINeedToLodge** पर जाएँ।

जमा करने के लिए आपको क्या जानकारी चाहिए

अपना टैक्स रिटर्न जमा करने के लिए आपके पास यह जानकारी होनी चाहिए कि:

- आपने नौकरी, बैंक खातों या निवेशों पर ब्याज से कितनी आय (जिसमें नकद भुगतान भी शामिल हैं) अर्जित की है
- आपकी आय से कितना कर काटकर लिया गया है (आपके कार्य-नियोक्ता ने आपके वेतन में से कितने पैसे निकालकर हमें भेजे हैं)
- आप कौन सी कटौतियों और टैक्स ऑफसेटों के बारे में दावा कर रहे/रही हैं।

अपने कर की धनराशि को कम करने के लिए आप जिन खर्चों का दावा कर सकते/सकती हैं, उन्हें कटौतियां कहते हैं। अधिकांश कटौतियां काम से संबंधित खर्चे होते हैं। यह वह धनराशि है, जिसे अपनी आय अर्जित करने में सहायता के लिए आपने किसी चीज पर व्यय किया है। आपको यह दिखाना होगा कि:

- व्यय सीधे आय अर्जित करने से संबंधित हैं
- व्यय व्यक्तिगत प्रवृत्ति के नहीं है
- अपने व्यय को प्रमाणित करने के लिए आपके पास रिकॉर्ड (जैसे रसीद) है।

आपके कार्य-नियोक्ता के लिए आपको आय विवरण या भुगतान सारांश प्रदान करना आवश्यक है। इसमें यह प्रदर्शित होता है कि आपने कितनी आय अर्जित की है और कितना कर चुकाया है।

अपना टैक्स रिटर्न जमा करने में सहायता के लिए इन वेबपेजों पर जाएँ:

- **ato.gov.au/incomeyoumustdeclare**
- **ato.gov.au/deductions**
- **ato.gov.au/incomestatement**

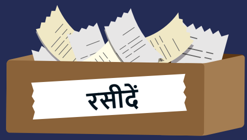

रिकॉर्ड बनाकर रखना

जब आप अपना टैक्स रिटर्न जमा कर देते/देती हैं, तो हम इसे संसाधित करके यह गणना करते हैं कि क्या आपने कर की सही राशि का भुगतान किया है। हम आपको आकलन सूचना भेजकर परिणाम के बारे में बताते हैं।

आपको अपनी किसी भी कटौती के दावे से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने चाहिए, उदाहरण के लिए रसीदें। अपना टैक्स रिटर्न जमा करने की तिथि के बाद कम से कम पांच वर्षों के लिए ये रिकॉर्ड सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। हम आपको ये रिकॉर्ड दिखाने के लिए कह सकते/सकती हैं।

रिकॉर्ड रखने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ato.gov.au/taxrecords** पर जाएँ।

अपने खर्चों और आय के रिकॉर्डों को एक ही स्थान पर रखने का एक सुविधाजनक तरीका myDeductions है। अपने स्मार्ट डिवाइस पर ATO app डाउनलोड करें और myDeductions आइकन का चयन करें। वेबपेज **ato.gov.au/app** पर जाएँ।

myDeductions टूल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ato.gov.au/myDeductionatoapp** पर जाएँ।

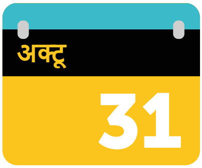

अपना टैक्स रिटर्न पूरा करके जमा करें

जमा कब करें

आप किसी पंजीकृत टैक्स एजेंट के माध्यम से ऑनलाइन myTax का उपयोग करके, अथवा कागज पर टैक्स रिटर्न पूरा करके जमा कर सकते/सकती हैं। आपका टैक्स रिटर्न 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक के आय वर्ष के लिए होता है। आपको **31 अक्टूबर** तक अपना टैक्स रिटर्न जमा करना होगा या किसी टैक्स एजेंट को संलग्न करना होगा।

myTax के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने या टैक्स एजेंट का उपयोग करने पर हम आपके बारे में हमारे पास पहले से ही मौजूद जानकारी को आपके टैक्स रिटर्न में भर देते हैं। उदाहरण के लिए, रोजगार से प्राप्त आय और बैंक का ब्याज। अधिकाँश लोगों के लिए यह जुलाई के अंत तक तैयार हो जाएगा। हमारे पास उपलब्ध जानकारी को पहले से भरने के लिए प्रतीक्षा करने से आपका टैक्स रिटर्न और अधिक आसान और सटीक बन सकता है।

जब यह जानकारी हमें प्राप्त होगी तो हम इसे पहले से ही भर देंगे, इसलिए आपको इस बात की जाँच करने की आवश्यकता होगी कि आपका विवरण सही है, और इसमें से यदि कुछ गायब हो गया है, तो आपको वह जोड़ना होगा।

अपना टैक्स रिटर्न कैसे जमा करें, इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ato.gov.au/lodgingtaxreturn** पर जाएँ।

myTax का उपयोग करके ऑनलाइन जमा करें

आप myTax का उपयोग करके ऑनलाइन जमा कर सकते/सकती हैं। ऑनलाइन रूप से जमा करने के लिए यह एक त्वरित, आसान, सुरक्षित और संरक्षित तरीका है।

myTax का उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले एक myGov खाता बनाना होगा, और अपने खाते को ATO online services के साथ लिंक करना होगा।

myGov के बारे में और अधिक जानकारी तथा एटीओ से लिंक करने के लिए वेबसाइट **ato.gov.au/linktomygov** पर जाएँ

हम आपको कर की अवधि (1 जुलाई) से पहले लिंक करने की सलाह देते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको सभी संचार प्राप्त हों और आपके टैक्स रिटर्न को जमा करने में कोई देरी न हो।

ATO online services से लिंक करने के बाद आप myTax का उपयोग करके अपना टैक्स रिटर्न जमा कर सकते/सकती हैं।

पहली बार अपना टैक्स रिटर्न जमा करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ato.gov.au/firstreturn** पर जाएँ।

पंजीकृत टैक्स एजेंट का उपयोग करके जमा करें

आप अपना टैक्स रिटर्न तैयार करने और इसे जमा करने के लिए किसी पंजीकृत टैक्स एजेंट का उपयोग कर सकते/सकती हैं। आपको 31 अक्टूबर से पहले उनसे संपर्क करने की आवश्यकता होगी। और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ato.gov.au/lodgewithanagent** पर जाएँ।

जमा करने के लिए अतिरिक्त सहायता और समर्थन

कर की अवधि में आपको अपने कर के साथ निःशुल्क सहायता मिल सकती है। हमारी Tax Help सेवा लगभग $60,000 प्रति वर्ष या इससे कम आय अर्जित करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध है। यदि आपको अपना टैक्स रिटर्न पूरा करने में सहायता की आवश्यकता है, तो हमारे प्रशिक्षित स्वयंसेवक आपकी सहायता कर सकते हैं। वे लोगों को myTax के माध्यम से अपने टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन पूरा करने में सहायता देने के लिए निःशुल्क और गोपनीय सेवा प्रदान करते हैं।

Tax Help हरेक वर्ष जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया के सभी राजधानी नगरों और कई अन्य स्थानों पर उपलब्ध रहती है। Tax Help के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ato.gov.au/taxhelp** पर जाएँ।

अपनी जानकारी को सुरक्षित रखें

अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण होता है।

आपका TFN पूरे जीवनकाल के लिए आपके साथ रहता है, इसलिए इसे सुरक्षित रखें। आपका TFN वही रहता है, चाहे आप अपना नाम या पता बदलें, नौकरियां बदलें अथवा किसी दूसरे राज्य या विदेश में रहने चले जाएँ।

किसी अन्य व्यक्ति को अपने TFN का प्रयोग न करने दें, यहाँ तक कि अपने मित्रों या रिश्तेदारों को भी नहीं। किसी अन्य व्यक्ति को इसका उपयोग करने की अनुमति देना अथवा इसे किसी दूसरे को देना या बेचना एक अपराध है।

अपना TFN केवल:

- अपने टैक्स रिकॉर्डों के बारे में चर्चा करते समय हमें दें
- नौकरी शुरू करने के बाद अपने कार्य-नियोक्ता को दें, किंतु इसे नौकरी के आवेदनों पर न लिखें
- अपनी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों को दें
- Services Australia को दें
- अपने पंजीकृत टैक्स एजेंट को दें
- अपने सुपरएनुएशन (सुपर) फंड को दें
- अपने उच्च शिक्षा प्रदाता या विश्वविद्यालय को छात्र ऋण की सुगमता के लिए दें, जैसे Higher Education Loan Program (HELP)।

यदि आपको लगता है कि आपका TFN गुम या चोरी हो गया है अथवा इसका दुरुपयोग किया गया है, तो तुरंत हमें इसकी सूचना दें। और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ato.gov.au/FindmyTFN** पर जाएँ।

पहचान-संबंधी अपराधों की रोकथाम में सहायता के लिए अपने व्यक्तिगत पहचान विवरण को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। जब लोगों के पहचान विवरणों का उपयोग अपराध के लिए किया जाता है, तो यह पहचान-संबंधी अपराध होता है। याद रखें:

- अपने myGov पासवर्ड या किसी अन्य ऑनलाइन पासवर्ड को किसी के साथ भी साझा न करें - आपके टैक्स एजेंट (यदि आप एजेंट का उपयोग करते/करती हैं) को भी इनकी आवश्यकता नहीं होती है
- ईमेलों में अपने TFN, पासवर्ड या अन्य संवेदनशील जानकारी को शामिल न करें।

घोटालों की ई-मेलें, फैक्स, एसएमएस और फोन कॉलें बहुत भरोसेमंद दिख और प्रतीत हो सकती हैं। सचेत रहें और यदि आप अनिश्चित हों कि आपको संचार किसकी ओर से प्राप्त हुआ है, तो हमसे संपर्क करने के लिए वेबसाइट **ato.gov.au/phoneus** पर जाएँ या वेबसाइट **ato.gov.au/scams** पर जाएँ।

अपने व्यक्तिगत विवरणों को सुरक्षित रखने के तरीकों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए इन वेबसाइटों पर जाएँ:

- अपनी जानकारी को सुरक्षित रखना - **ato.gov.au/identitycrime**
- कर-संबंधी घोटाले - **ato.gov.au/scams**
- पहचान-संबंधी अपराध - **ato.gov.au/identitytheft**
- **scamwatch.gov.au**

ato.gov.au

NAT 71986HIN-06.2021 DE-32692